

भारत में ~~कुटीर~~ कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग की परिभाषा :-

(Definition of cottage & small scale industries)

कुटीर एवं लघु उद्योगों की परिभाषा ~~के~~ कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विचार करने के पूर्व इनकी परिभाषा, पारस्परिक सम्बन्ध तथा अन्तर पर विचार करना अनिवार्य है। कुटीर उद्योग-घंघे व उद्योग हैं जिनका संगठन एक स्वतन्त्र कारीगर अपनी पूँजी एवं श्रम से साधारण औजारों की सहायता द्वारा करता है। इस प्रकार के उद्योगों में पूँजी की अपेक्षा श्रम की ही प्रधानता रहती है। कारीगर अपने तथा अपने परिवार वालों के श्रम से साधारण औजारों के प्रयोग द्वारा अपना कार्य करता है। कहीं-कहीं तो इनमें शक्ति का भी प्रयोग किया जाता है; किन्तु अधिकतर: छोटे पैमाने पर। स्विटजरलैंड तथा जापान में कुटीर उद्योग मुख्यतः विद्युत-शक्ति के द्वारा ही चलाये जाते हैं। भारत में भी बिजली के ~~प्रचार~~ प्रचार के बाद कुटीर उद्योगों के आधिकारिक विकास की आशा की जाती है।

1949-50 के फिस्कल कमिशन (Fiscal Commission) के अनुसार, 'कुटीर उद्योग-घंघे' व 'घंघे' हैं जो अंशतः अथवा पूर्णतः परिवार के सदस्यों की सहायता द्वारा आंशिक अथवा पूर्णकालिक कार्य के रूप में किए जाते हैं। भागी के अनुसार, लघु प्रमाण उद्योग (small scale industries) व उद्योग हैं जो मुख्यतः भाड़े के मजदूरों, साधारणतया 10 से लेकर 50 तक के द्वारा चलाये जाते हैं तथा जो श्रमिकों के घर में नहीं चलाये जाते हैं। इनमें से सब औद्योगिक इकाइयों (units) सम्मिलित की जाती हैं जिनमें 35 लाख रुपये से कम की पूँजी लगी होती है। सहायक उद्योगों (Ancillary industries) के लिए यह सीमा 45 लाख है। इसके अनुसार "कुटीर उद्योग मुख्यतः कृषि से सम्बन्धित होते हैं तथा केवल शहरी क्षेत्रों में ही इनमें पूरे स्थल तक कार्य मिलता है; जबकि लघु उद्योगों में कारीगरों को लघु पूरा समय तक कार्य मिलता है, जबकि लघु उद्योगों में कारीगरों को लघु पूरा समय तक कार्य मिलता है तथा इस प्रकार के उद्योग शहरी एवं अर्द्ध-शहरी दोनों ही क्षेत्रों में पाये जाते हैं।"

1991 की नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत यह सीमा लघु उद्योगों के लिए 60 लाख रुपये तथा सहायक उद्योगों के लिए 75 लाख रुपये तथा छत छोटे उद्योगों (Tiny Enterprises) के लिए 5 लाख रुपये कर दी गयी है।

एक दूसरे प्रकार से भी लघु एवं कुटीर उद्योगों में अन्तर किया जाता है। इस प्रकार जबकि कुटीर उद्योग अधिकतर कारीगरों के घरों में उनके परिवार वालों के श्रम द्वारा साधारण औजारों की सहायता से, जो बिना शक्ति या कम शक्ति द्वारा प्रचलित होते हैं, चलाये जाते हैं; लघु पैमाने के उद्योगों में शक्ति द्वारा प्रचलित आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। लघु उद्योगों में श्रम तथा यन्त्र दोनों की प्रधानता रहती है। इनमें अधिक-से-अधिक 50 व्यक्ति

(1)

(2)

तक कार्य करते हैं जबकि कुट्टि कुटीर उद्योगों में अधिक से अधिक 8-10 व्यक्ति, जो ~~समस्त~~ साधारणतः एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, कार्य करते हैं। किन्तु इतना अन्तर होने पर भी इन दोनों प्रकार के उद्योगों की प्रकृति साधारणतः एक ही समान होती है और जैसा कि योजना आयोग ने कहा है कि "कुट्टि एवं लघु उद्योग-धन्धों में अंतर प्रकट करने के लिए कोई निश्चित एवं सर्वमान्य रेखा नहीं है।"